



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून



Office of the Executive Engineer, Construction Division, P.W.D., Dehradun, Uttarakhand
Website-http://pwd.uk.gov.in
E-mail: eecdpwdddn@rediffmail.com

पत्रांक-448/1410

दिनांक - 26/11/2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
भूमि संरक्षण वन प्रभाग
कालसी

विषय:- जनपद देहरादून के विकासखण्ड विकासनगर में ग्राम पंचायत पष्ठा की माजरा (हरिजन बस्ती) आमवाला-मल्लावाला-II से पीपलसार तक भूड से मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 3.955 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
(Online no. FP/UK/Road/126632/2021)

सन्दर्भ:- 1. भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक सं० 8बी/यू.सी.पी./06/141/2021/एफ०सी०/1372 दिनांक 07/01/2022
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन की पत्र सं० 1050/FP/UK/Road/126632/2021 दिनांक 17.10.2022
3. प्रभागीय वनाधिकारी भूमि संरक्षण वन प्रभाग कालसी के पत्र सं० 924/12-1 दिनांक 20/10/2022

महोदय,

उपरोक्त मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की आपत्तियों का निराकरण निम्नानुसार किया जा रहा है :-

क्र०स०	आपत्तियाँ	निराकरण
1	(i) प्रस्तावित ग्राम आमवाला-मल्लावाला साल के घने वन क्षेत्र तथा पूर्ण रूप से आरक्षित वन के मध्य स्थित है। संबंधित वन मंडल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि यह अतिक्रमण क्षेत्र तो नहीं है तथा इस हेतु प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें।	बिन्दु संख्या 1(i) का निराकरण प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय द्वारा किया जाना है।
	(ii) ग्राम का अंतिम बिन्दु की तरफ से डिजिटल मैप के बिन्दु क्र०22 से 28 तक जोड़ने पर भी connectivity दी जा सकती है। अतः इस मार्ग में 6 मीटर चौड़ाई में वृक्षों की गणना कर जानकारी प्रस्तुत की जायें। इससे अधिक चौड़ाई का प्रत्यावर्तन मान्य नहीं किया जाएगा। अतः अन्तिम बिन्दु की तरफ से केवल बिन्दु क्रमांक 22-28 तक 6 मीटर चौड़ाई में पुनरीक्षित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।	ग्राम पीपलसार को बिन्दु सं० 28 से जोड़ने पर ग्रामवासीयों को अपने गांव/तोक तक पहुंचने में 12 किमी० की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ेगी मोटर मार्ग की विशिष्टियों के अनुसार मोटर मार्ग की चौड़ाई 6 मी० + 0.90 मी० अतिरिक्त बाईडिनिंग कुलर- 6.90 मी० होती है। इसलिये मोटर मार्ग को 6.90 मी० चौड़ाई से कम में प्रस्तावित/निर्माण नहीं कराया जा सकता। 7.00 मी० से कम चौड़ाई में मोटर मार्ग का निर्माण विशिष्टियों के अनुसार नहीं किया जा सकता है। इसलिये 6 मी० चौड़ाई में प्रस्ताव को पुनरीक्षित करना संभव नहीं है।

(iii)	ग्राम पास्ता से कम घनत्व के क्षेत्र से भी मार्ग प्रस्तावित किया जा सकता है जिस वैकल्पिक समरेखण का कोई परीक्षण नहीं किया गया है। ग्राम पास्ता से वैकल्पिक समरेखण का सम्पूर्ण विवरण तुलनात्मक चार्ट में प्रेषित किया जाए।	प्रस्तावित मोटर मार्ग निर्माण हेतु विभाग द्वारा दो समरेखणों पर सर्वेक्षण किया गया। समरेखण सं० 2 पर अत्याधिक वनभूमि व वृक्षों की सं० अधिक होने के कारण समरेखण सं० 2 को निरस्त किया गया तथा समरेखण सं० 1 के अनुसार प्रस्तावित मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।
(iv)	वर्तमान में ग्रामवासियों के आवागमन के मार्ग की जानकारी प्रस्तुत करते हुए के०एम०एमल० फाईल पर अंकित किया जाये।	वर्तमान में ग्रामवासी लांघा-तौली मोटर मार्ग से लगभग 5 किमी० पैदल चलकर आवागमन करते हैं। ग्रामवासियों के आवागमन हेतु केवल यही पैदल मार्ग है। उक्त मार्ग निर्माण हो जाने से ग्रामवासी अपनी कृषि उपज व अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुओं को आसानी से मण्डी व अन्य स्थानों पर पहुंचा सकते हैं।
2	Details filled at para B-I is not relevant on this proposal and therefore required to be removed.	Now to be Para B-I is removed for online Part I.
3	Blank space plantation scheme of Rs 6,50,000/- other than CA uploaded online. State Govt. is requested to propose the estimate for CA only as per the guideline.	Now to be uploaded only revised CA in Part I for additional information.
4	Road-side plantation scheme of Rs. 32,86,211/- other than CA uploaded online. State Govt. is requested to propose the estimate for CA only as per the guideline.	Now to be uploaded only revised CA estimate in Part I for additional information.
5	It is seen from the data given in para-14 of online Part-II i.e. district profile that the CA Stipulated (6678ha) is not commensurate to the forest land diverted the area of forest land diverted and the disparity, if any is required to be clarified suitably.	बिन्दु संख्या 5 का निराकरण प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय द्वारा किया जाना है।

अतः उपरोक्तानुसार आपत्तियों का निराकरण कर प्रस्ताव अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


 (इ० राजेश कुमार)
 अधिशासी अभियन्ता
 निर्माण खण्ड लो०नि०वि०,
 देहरादून।

संलग्नकः - (1) प्रस्ताव पत्र
 (2) - C A Estimate.

प्रमाण-पत्र

कार्य का नाम:-

जनपद देहरादून के विकासखण्ड विकासनगर में ग्राम पंचायत पष्ठा की माजरा (हरिजन बस्ती) आमवाला, मल्लावाला-॥ से पीपलसार तक भूड से मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 3.955 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरण।

प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान में ग्रामवासी लांघा-तौली मोटर मार्ग से लगभग 5 किमी० पैदल चलकर आवागमन करते हैं। ग्रामवासियों के आवागमन हेतु केवल यही पैदल मार्ग है। उक्त मार्ग निर्माण हो जाने से ग्रामवासी अपनी कृषि उपज व अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुओं को आसानी से मण्डी एवं अन्य स्थानों पर पहुंचा सकते हैं।



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
देहरादून



अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
देहरादून

प्रमाण-पत्र

कार्य का नाम:-

जनपद देहरादून के विकासखण्ड विकासनगर में ग्राम पंचायत पष्ठा की माजरा (हरिजन बस्ती) आमवाला, मल्लावाला-।। से पीपलसार तक भूड से मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 3.955 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरण।

प्रमाणित किया जाता है कि मार्ग निर्माण हेतु विभाग द्वारा दो समरेखणों पर सर्वेक्षण किया गया। समरेखण सं० 2 पर अत्याधिक वनभूमि व वृक्षों की सं० अधिक होने के कारण समरेखण सं० 2 को निरस्त किया गया तथा समरेखण सं० 1 के अनुसार प्रस्तावित मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तांतरण प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
देहरादून



अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
देहरादून

प्रमाण-पत्र

कार्य का नाम:-

जनपद देहरादून के विकासखण्ड विकासनगर में ग्राम पंचायत पष्ठा की माजरा (हरिजन बस्ती) आमवाला, मल्लावाला-11 से पीपलसार तक भूड से मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 3.955 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरण।

* प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम पीपलसार को बिन्दु सं० 28 से जोड़ने पर ग्रामवासियों को अपने गांव/तौक तक पहुंचने में 12 किमी० की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ेगी मोटर मार्ग की विशिष्टियों के अनुसार मोटर मार्ग की चौड़ाई 6 मी० + 0.90 मी० अतिरिक्त बाईडिंग कुल 6.90 मी० होती है। इसलिए मोटर मार्ग को 6.90 मी० चौड़ाई से कम में प्रस्तावित/निर्माण नहीं कराया जा सकता है। 7.00 मी० से कम चौड़ाई में मोटर मार्ग का निर्माण विशिष्टियों के अनुसार नहीं किया जा सकता है। इसलिए 6 मी० चौड़ाई में प्रस्ताव को पुनरीक्षित करना संभव नहीं है। *



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
देहरादून



अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
देहरादून